न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रूपसिंह बनाम रतनसिंह वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं.- 803/2017
24.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- बुर्जा की ढाणी में पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत- बुर्जा की ढाणी में आयोजित शिविर में उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील के द्वारा की गई। वकील वादी मय पक्षकार ने प्रकरण में प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पक्ष में राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को ग्राम पंचायत- बुर्जा की ढाणी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के मजमे-ए-आम में सुनाया गया। 24/11/21 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:-- बुर्जा की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्प– बुर्जा की ढ़ाणी
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2016 टी0टी0सं 803 / 2017	2017 / 950	12.02.2016	24.11.2021

उनवान

1. रूपसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उर्फ बोदूसिंह (छोटेवाला) आयु वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम्

1. रतनसिंह पुत्र रिछपालसिंह
2. समुन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह
4. महावीरसिंह पुत्र मदनसिंह
5. ओम कंवर पुत्री मदनसिंह
6. प्रकाश कँवर पुत्री मदनसिंह
7. मोहन कँवर पुत्री भागीरथ सिंह पुत्र सांवलसिंह
8. पाना कँवर पुत्री भागीरथ सिंह पुत्र सांवलसिंह
9. मोहन कँवर पत्नि रामकुंवारसिंह
10. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह
11. ज्ञानसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह
12. सुप्यार कँवर पुत्री रामकुंवारसिंह
13. सोन कँवर पत्नि रामसिंह
14. पूर्णसिंह पुत्र रामसिंह
15. छीतरसिंह पुत्र रामसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

16. दातारसिंह पुत्र रामसिंह

17. भवानीसिंह पुत्र जयसिंह

18. धन कँवर पत्नि जयसिंह

19. कैलाश कँवर पत्नि नरपतसिह

20. अभिषेक पुत्र नरपतसिंह

21. अशुमानसिंह पुत्र नरपतसिंह

22. पूजा पुत्री नरपतसिंह

23. मनीषा पुत्री नरपतसिंह

प्रतिवादीगण नम्बर 20 ता 23 नाबालिग जारिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कैलाश कँवर पत्नि स्वर्गीय नरपतसिंह

24. आशा कँवर पत्नि उगमसिंह

25. सन्तोष कँवर पुत्री उगमसिंह

26. लाड कँवर पत्नि नन्दसिंह

27. दीपेन्द्र सिंह पुत्र नन्दसिंह

28. सुमन कँवर पुत्री नन्दसिंह

29. विनोद कँवर पुत्री नन्दसिंह

30. लक्ष्मी कँवर पुत्री नन्दसिंह

31. ममता कँवर पुत्री नन्दसिंह

32. गोपालसिंह पुत्र अमरसिंह

33. सुप्यार कंवर पत्नि छोटूसिंह उर्फ बोदूसिंह

34. किशोरसिंह पुत्र छोटूसिंह उर्फ बोदूसिंह

35. शिम्भूसिंह पुत्र छोटूसिंह उर्फ बोदूसिंह

36. विमला कंवर पुत्री छोटूसिंह उर्फ बोदूसिंह

37. रंसाल कंवर पुत्री छोटूसिंह उर्फ बोदूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण हरिपुर[illegible] श्रीमाधोपुर ज़िला सीकर राज0

38. लैण्ड होल्डर जरिये तहसी[illegible] (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

39. सज्जन कँवर पत्नि प्रहलाद सिंह उर्फ बोदूसिंह
40. दिलीप सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उर्फ बोदूसिंह
41. बलबीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उर्फ बोदूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र गौड़, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 से 37 अभिभाषक।
श्री भारत भूषण सामोता, एड0 तरतीबी प्रतिवादी सं. 39 से 41 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 38

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6082, 6637, 6640 कुल किता 03 कुल रकबा 1.05 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 6086, 6089 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 6398, 6399 कुल किता 2 कुल रकबा 2.417 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6398, 6399 कुल किता 2 कुल रकबा 2.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से पर वक्त बुजुर्गान के समय से वादी एंव तरतीबी पक्षकारगण एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि खसरा नम्बर 6082 रकबा 0.34 हैक्टर के 1/8 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि खसरा नम्बर 6086, 6089 कुल रकबा 0.34 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी एंव 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: Attested

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 काबिज काश्त चले आ रहे है जबकि उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड प्रतिबादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज चला आ रहा है। जो दुरूस्तनीय है। वादी एंव तरतीबी पक्षकारागण व प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 37 एक ही परिवार के सदस्य है जो सजरा खानदान से स्पष्ट प्रकट होता है। उक्त भूमियाँ वादी एंव तरतीबी पक्षकारगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमियाँ है। जिन पर वादी एंव प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एंव तरतीबी पक्षकार ने अपने हिस्से में आई भूमियों को अपनी स्वंय की मेहनत व लाखों रूपये लगाकर उन्नत व उपजाउ व समतल बनाया है। वादी एंव तरतीबी पक्षकार उक्त भूमियों पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी एंव तरतीबी पक्षकार के नाम नहीं होने के कारण वादी एंव तरतीबी पक्षकार को सख्त हक तलफी है। वादी एंव तरतीबी पक्षकार सरकारी सहायता ऋण अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगै0 से वंचित हो रहे है एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे है तथा वादी एंव तरतीबी पक्षकार के विधिक हक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी एंव तरतीबी पक्षकार एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर अपने नाम से दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी है। वर्तमान समय में भूमियों की बेतहाशा बढ़ती कीमतें देखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 37 के मन में बेईमानी आ गई। वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 37 उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि में तब्दील करने तथा भू माफियावृत्ति के लोगों से मिलकर विकय करने एंव रहन रखने एंव अन्तरण कर मौका सूरत एंव रिकार्ड परिवर्तन करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 व 37 ने अर्सा 10 रोज पूर्व वादी को एहलानियाँ धमकी दी कि हम अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हुई भूमि को दीगर को बैचान करेगें तथा तुम्हारे नाम खातेदारी दर्ज नहीं करायेगें तथा आपको उक्त भूमियों से बेदखल कर देगें। वाद कारण अर्सा 10 रोज पूर्व खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने पर वादी व तरतीबी पक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मदाखलत करने पर उत्पन्न होने पर यह दावा न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद वास्ते विरूद्ध प्रतिवादीगण का पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

निम्नानुसार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि :- ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 6398, 6399 कुल किता 2 कुल रकबा 2.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी पक्षकारगण एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 तथा भूमिं खसरा नम्बर 6082 रकबा 0.34 हैक्टर के 1/8 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 तथा भूमि खसरा नम्बर 6086, 6089 कुल रकबा 0.34 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों के हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम व मृत्तक मदनसिंह पुत्र रिछपालसिंह, भागीरथसिंह पुत्र सांवलसिंह , जयसिंह, रामसिंह पुत्र विजयसिंह, उगमसिंह, अमरसिंह, छोटूसिंह पुत्रगण रामदेवसिंह, नन्दसिंह पुत्र उगमसिंह, मृत्तक रिछपालसिंह पुत्र भोमसिंह, मृत्तक नरपतसिंह पुत्र जयसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा शेष 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड यथावत रखा जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील वादी के द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 13, 14, 19 से 23 जरिये संरक्षिका माता, 24, 26, 27, 32 से 35 की ओर से दिनांक 26.04.2016 को हाजिर अदालत उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया है एंव प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 12, 15 लगायत 18, 25, 28 लगायत 31, 36, 37 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाये जाने का जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया गया। साक्ष्य वादी में वादी रूपसिंह का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश हुआ एंव वादी गवाह साक्ष्य में शक्तिसिंह पुत्र किशनसिंह व पदमसिंह पुत्र गोविन्द सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्रावली किये गये। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 39 से 41 की ओर से श्री भारत भूषण एड0 ने जवाब दावा पेश नहीं किया जाना जाहिर किया। अतः प्रतिवादी संख्या 39 से 41 का जवाब देही का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में उप तहसीलदार अजीतगढ़ से चाही गई तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 319/राजस्व दिनांक 20.06.2018 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 के साथ उपस्थित होकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा पेश किया जा चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने बाबत अपनी–अपनी स्वीकारोक्ति बरूए राजीनामा प्रदान की जा चुकी है। इस बाबत सभी प्रतिवादीगण ने सहमति बतौर राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया जा चुका है।

प्रतिवादीगण के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने व उप तहसीलदार अजीतगढ़ से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी मय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दौराने शिविर ही मजमे–ए–आम में ही बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी मय पक्षकारान् ने पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना जाहिर किया। वकील वादी पक्षकारान् व उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील वादी मय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी मय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072, 2074–2077 कुल दो–दो जमाबन्दियों में प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बुर्जा की ढाणी के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 37 में से कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में राजीनामा व कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया है। जिससे भी उक्त वादग्रस्त भूमियों के पैत्रक भूमियॉं होना स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के पैत्रक भूमियॉं होने से एंव उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा आपस में सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा लोक अदालत की भावना से की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियॉं खसरा नम्बर 6398, 6399 कुल किता 2 कुल रकबा 2.47 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से का वादी एंव तरतीबी पक्षकारगण एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 तथा भूमि खसरा नम्बर 6082 रकबा 0.34 हैक्टर के 1/8 हिस्से का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 6086, 6089 कुल रकबा 0.34 हैक्टर के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 24 ता 31 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 32 एंव 1/8 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 37 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों के हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम व मृतक मदनसिंह पुत्र रिछपालसिंह, भागीरथसिंह पुत्र सांवलसिंह , जयसिंह, रामसिंह पुत्र विजय[illegible], [illegible]सिंह, अमरसिंह, छोटूसिंह पुत्रगण रामदेवसिंह, नन्दसिंह पुत्र उगमसिंह, मृतक [illegible]सिंह, मृतक नरपतसिंह पुत्र जयसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा शेष 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:38:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

24/11/21

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी